बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत दिनांक 02.06.2020 को प्रकाशित अतिरिक्त परीक्षाफल में सफल घोषित अनुक्रमांक – 140015, शशि रंजन का साक्षात्कार कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

दिन एवं दिनांक	एकल पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न)
शुक्रवार, 26.06.2020	अनुक्रमांक – 140015

2. उपर्युक्त उम्मीदवार का साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से** आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अधिमानता प्रपत्र–II भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। अधिमानता प्रपत्र जमा करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगाः–**
   - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
   - (ii) स्नातक की डिग्री का अंक पत्र।
   - (iii) स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र।
   - (iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (**महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**
   - (v) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
   - (vi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
   - (vii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ (**Recent Photograph**)।

   यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा एवं उनकी अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

   योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (15.12.2017) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।
4. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवार की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**
6. **उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।**
7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
8. आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर साक्षात्कार के दिन ही सम्पन्न होगा, जिसके लिए आपको 16.00 रू॰ (सोलह रू॰) का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
9. **साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवार को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।**

8.6.20

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना